IMMEDIATE

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

क्रमांकः एफ4(54) पट्टाअभि./विधि/पंरा/2017/378 जयपुर दिनांकः 05-5-17

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
ज़िला परिषद, समस्त ।

विषयः– दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान की प्रभावी मोनीटरिंग के संबंध में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि **'दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण पट्टा वितरण अभियान''** की समीक्षा किये जाने पर यह ज्ञात हुआ है कि कई ज़िलों में इस अभियान की प्रगति अत्यधिक न्यून है एवं काफी अधिक संख्या में पटटों के आवेदन प्राप्त होने के बावजूद भी पट्टे जारी किये जाने शेष हैं। अतः कृपया इस अभियान की प्रभावी मोनीटरिंग करते हुए निम्न कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें:–

1. आप व्यक्तिगत रूप से अभियान दिवस के अन्त में सम्पूर्ण ज़िले में आयोजित अभियान की समीक्षा करें एवं जहां की प्रगति कम हो वहां तत्काल आवश्यक कार्यवाही करें।
2. यह सुनिश्चित करें किं अभियान की प्रगति रिपोर्ट ऑन–लाईन उसी दिन सम्प्रेषित कर दी जावे।
3. वर्तमान में काफी अधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त हो चुके हैं, लेकिन पट्टे जारी किये जाना शेष हैं। अतः आप समीक्षा करते हुए तत्काल समस्त विचाराधीन प्रकरणों पर अग्रिम कार्यवाही करवाया जाना सुनिश्चित करें। उल्लेखनीय है कि पूर्व में यह निर्देशित किया जा चुका है कि आवेदन पत्र प्राप्त होने के एक माह की अवधि में आवश्यक रूप से उसका निस्तारण करें
4. आप किसी भी ग्राम पंचायत में अभियान का औचक निरीक्षण करें।

शासन उप सचिव(विधि)

प्रतिलिपिः– 1. विशिष्ट सहायक, मंत्री, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज विभाग ।
2. निजी सचिव, राज्य मंत्री, ग्रा0वि0 एवं पं0 राज विभाग ।
3. निजी सचिव, अति0 मुख्य सचिव, ग्रा0 वि0 एवं पं0 राज ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायती राज ।

शासन उप सचिव(विधि)